



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 2021

अग्रहायण 12, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

सहकारिता अनुभाग-1

संख्या 1437/49-01-2021
लखनऊ, 3 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

प०आ०-397

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966) की धारा 130 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (साठवां संशोधन) नियमावली, 2021

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (साठवां संशोधन) नियमावली, संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 2021 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2- उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" नियम 453(1)(ग) कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 453(1)(ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया का संशोधन गया नियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ-1

वर्तमान विद्यमान नियम

453(1)(ग) वह विकृत चित्त या बहरा
गूंगा या अंधा हो;

स्तम्भ-2

प्रतिस्थापित नियम

453(1)(ग) वह विकृत चित्त हो;

आज्ञा से,
बी० एल० मीणा,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1437/XLIX-1-2021, dated December 3, 2021:

No. 1437/XLIX-1-2021

Dated Lucknow, December 3, 2021

IN exercise of the powers under section 130 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 (U.P. Act no. 11 of 1966) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Rules, 1968.

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (SIXTIETH
AMENDMENT) RULES, 2021

Short title and
commencement

1. (1) These Rules may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Sixtieth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment
of rule 453(1)(c)

2. In the Uttar Pradesh Co-operative Societies Rules, 1968 (hereinafter referred to as the "said rules"), for rule 453 (1)(c) set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely.

COLUMN-I

Existing rule

453 (1)(c). he is of unsound mind, or
is deaf and dumb, or blind;

COLUMN-II

Rule as hereby substituted

453 (1)(c). he is of unsound mind;

By order,
B. L. MEENA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 447 राजपत्र-2021-(1001)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 4 सा० सहकारिता-2021-(1002)-100 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।